रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225] नई दिल्ली बृहस्पतिवार जून, 21, 1973/ज्यैष्ठ 31, 1895
No. 225] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 1973/JYAISTHA 31, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 21st June 1973

S.O. 347(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in any service in the State of Tamilnadu connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect strike, in connection with any industrial dispute, in the said service for a period of six months.

[No. F. S-42025/4/73-LR. I.]
N. P. DUBE, Addl. Secy

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जून, 1973

का० आ० 347(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवायें बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यतः तमिलनाडु राज्य में जनता के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदाय करने अथवा ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिये विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचयन अथवा सम्प्रेषण से सम्बद्ध किसी सेवा में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय और सेवाओं का बनाए रखने के लिये प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त सेवाओं में हड़तालें रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त सेवा में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल को छः माह के लिए तुरन्त प्रतिषिद्ध करती है ।

[एफ० सं० एस-42025/4/73–एल० आर० – 1]

एन० पी० दुबे,

अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973